फर्द अहकाम

जगदीश बनाम गुलाब व अन्य

लय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

ा 54/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
10/09/25	हस्बिगत अंतिम अवसर इस निर्देश के अधीन दिया जाता है कि आगामी तारीख पर आवश्यक रूप से आपत्ति प्रार्थनापत्र पर बहस प्रस्तुत नहीं होने पर अवसर बहस स्वतः ही बंद माना जाकर पत्रावली उचित आदेश/निर्णय हेतु नियत की जावेगी। पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति बाबत कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 16/09/25 को पेश हो। सं/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
16/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस आपत्ति प्रार्थनापत्र (कुरेजात रिपोर्ट) पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/09/25 को पेश हो। सं/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	16/09/25
29/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस आपत्ति प्रार्थनापत्र बाबत कुरेजात रिपोर्ट के तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट तथा आपत्ति प्रार्थनापत्र के तथ्यों का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन व विवेचन किया। उभय पक्षकारान के प्रस्तुत अभिकथनों से यह तथ्य निर्विवादित प्रदर्शित होता है कि पक्षकारान के मध्य वाद अधीन भूमि ... सं/-	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मांगीलाल व अन्य बनाम / गुलाब व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 54/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/09/25	के सम्बन्ध में पूर्व में आपसी सहमति से 500/- मुद्रांकित शुल्क पर विधिवत हस्ताक्षरित बटवारानामा निष्पादित किया गया है। जिसके अनुसार भूमि विभाजित कर पक्षकारान मौके पर पूर्व से ही काबिज होकर कब्जे काश्त में प्रचलित है तथा खसरा नं. 309, 310 में पक्षकारान के मकानात आदि बने हुए है। जिन पर आवागमन हेतु खसरा नं. 310 में रास्ता भी बना हुआ है। प्रचलित है तथा प्रचलित कब्जा काश्त व उपयोग-उपभोग के दृष्टिगत ही पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त खसरा नं. 308, 309, 310 को मध्य से पूर्व से पश्चिम की ओर 02 समान हिस्सों में लिखित सहमति अनुसार विभक्त किया गया है तथा उक्तानुसार दक्षिण हिस्सा प्रतिवादी पक्ष द्वारा लिखित सहमति बटवारा अनुसार प्राप्त किया गया है एवं साथ ही वादग्रस्त खसरा नं. 312 व खसरा नं. 393 कुल खसरा किता 02 को प्रतिवादी पक्ष द्वारा सम्पूर्ण रूप से लिखित सहमति में प्राप्त किया है तथा इसी प्रकार वादग्रस्त खसरा नं. 175 व 176 सम्पूर्ण का 2/3 हिस्सा प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष द्वारा सहमति विभाजन में प्राप्त किया गया है। शेष वादग्रस्त खसरा नं. 343, 344, 345/564, 346, 349, 374, 375 कुल खसरा किता 07 अप्रार्थी वादी पक्ष को सम्पूर्ण (एकल) रूप से प्राप्त हुए है तथा खसरा नं. 308, 309, 310 में 1/2 हिस्सा व खसरा नं. 175, 176 में 1/3 हिस्सा लिखित सहमति में प्राप्त हुआ है। इस ----P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मांगीलाल व अन्य बनाम / गुलाब व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

54/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/09/25	प्रकार वादग्रस्त कुल खसरा किता 14 में से कुल 02 खसरा, खसरा नं. 312 व 393 के रूप में सम्पूर्ण (एकल) रूप से प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष को तथा वादग्रस्त कुल खसरा किता 03 खसरा नं. 308, 309, 310 में से दक्षिणी भाग का 1/2 हिस्सा भी प्रार्थी प्रतिवादीगण पक्ष को आपसी लिखित सहमति के विभाजन में प्राप्त हुई है तथा उक्तानुसार ही भूमि प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष व अप्रार्थी वादी पक्ष को प्रस्तावित की गई है। उक्त सहमति विभाजन पत्र (जिसके अन्तर्गत कि कब्जा काश्त स्वयं प्रार्थी प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा स्वीकृत गया है) के कुर्रेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टी व नक्शा से पारस्परिक तुलनात्मक विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान के पूर्व के राजीनामा, वास्तविक प्रचलित कब्जा काश्त, मूलभूत सुविधाओं, आवश्यकताओं व भूमि की अखंडता (एकजाई) के दृष्टिगत तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसमें पक्षकारान के हितों का समान व विधिक रूप से संरक्षण प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त भी प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र के अन्तर्गत ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि किस रूप में व किस विशिष्ट भूमि खसरा नं. में प्रार्थी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त स्थित है, जिसके विपरीत स्थिति अनुसार कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रार्थी ---P.T.O.	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मांगीलाल व अन्य बनाम गुलाब व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 54/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/09/25	प्रतिवादीगण पक्ष का कब्जा काश्त स्वयं प्रार्थीगण के स्वीकार्य कथनानुसार खसरा नं. 308, 309, 310 व दक्षिण ओर के 1/2 भाग अनुसार स्थित होना व्यक्त किया गया है। जिसके अलावा प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष की एकल खातेदारी की अन्य भूमि खसरा नं. 312 व खसरा नं. 311 स्थित होना अभिकथन/व्यक्त किया गया है। जिसके अनुसार/दृष्टिगत ही प्रार्थी प्रतिवादीगण पक्ष को हिस्सा/भूमि प्रस्तावित की गई है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अत: तथ्यों के दृष्टिगत आपत्ति प्रार्थनापत्र सारहीन व अपोषणीय प्रतीत होने से खारिज किया जाकर तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट स्वीकार की प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय सुनाया गया (विस्तृत पृथक से भी लिखा जाकर संलग्न है) पत्रावली मुकम्मल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
		[signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)
वाद संख्या : 54/2023 **निर्णय दिनांक : 29.09.2025**

1. भागीरथ प्रसाद पुत्र गुल्लाराम
2. रामनारायण पुत्र गुल्लाराम
3. शिवराम पुत्र गुल्लाराम
4. सूरजमल पुत्र गुल्लाराम
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास तहसील आमेर जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नी स्व. कल्याणमल
2. दौलतराम पुत्र कल्याणमल
3. महेन्द्र पुत्र कल्याणमल
4. विनोद पुत्र कल्याणमल
5. सतीष पुत्र कल्याणमल
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास तहसील आमेर जयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से वाके ग्राम सालडवास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित राजस्व खाता स. 29 के अंतर्गत प्रदर्शित भूमि आराजी ख.नं. 175, 176, 308, 309, 310, 312, 343, 344, 345/564, 346, 349, 374, 375, 393, कुल खसरा किता 14 कुल रकबा 3.9366 है. के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि में वादीगण स. 01 ता 04 प्रत्येक का 1/8 – 1/8 हिस्सानुसार कुल 1/2 हिस्सा दर्ज अंकित व निहित है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण स. 01 ता 05 प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सानुसार कुल 1/2 हिस्सा दर्ज अंकित व निहित है, इसी अनुसार पक्षकारान उक्त वर्णित भूमि में अपने उक्त वर्णित हिस्सानुसार काबिज होकर उपभोग करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा अपने अपने हिस्सेनुसार भूमि का पूर्व में विधिवत मनबट अनुसार विभाजन किया गया है। जिसके अनुसार ही पक्षकारान भूमि पर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तदनुसार वाद अधीन आराजी खसरा नं. 309 में वादीगण द्वारा तथा खसरा नं. 310 में प्रतिवादीगण द्वारा पुख्ता मकानात हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सडक निर्माण किया हुआ है। पक्षकारान के पूर्व के मनबट विभाजन अनुसार काबिज होने से भूमि के विधिक विभाजन नहीं हो पाने से भूमि पक्षकारान के नाम शामलाती रूप से दर्ज होने के कारण वादीगण, राज्य सरकार द्वारा कृषको को दी जा रही योजनाओं का सुचारू व पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहें है। इसलिए वादीगण द्वारा दिनांक 15.08.23 को प्रतिवादीगण से पक्षकारान के मनबट विभाजन अनुसार प्रचलित कब्जे काश्त के दृष्टिगत भूमि का विधिक विभाजन करवाए जाने का आग्रह किया गया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा भूमि के विधि अनुसार विभाजन करवाए जाने बाबत स्पष्ट इंकार कर दिया गया। जिससे वादीगण को अपने विधिक अधिकारों के संरक्षणार्थ व सुरक्षार्थ वाद कारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिसके अनुसार वादीगण पूर्व के विधिवत मनबट विभाजन अनुसार प्रचलित कब्जा काश्त के दृष्टिगत भूमि का विधिक विभाजन कराने व तदनुसार पृथक खाता, लगान व राजस्व नक्शा कायम कराने के अधिकारी है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर उल्लेखित वादअधीन भूमि कुल खसरा किता 14 कुल रकबा 3.9366 है. (खाता सं. 29) वाके ग्राम सालडवास तहसील आमेर जिला जयपुर का पक्षकारान के मध्य पूर्व में मनबट के आधार पर विधिवत हुए विभाजन व उक्तानुसार पक्षकारान के प्रचलित कब्जा काश्त के दृष्टिगत विधिक विभाजन किया जाकर वादीगण के निर्धारित हिस्से की भूमि का पृथक खाता, नक्शा व लगान कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादीगण अपने कब्जे काश्त की भूमियों पर अपने पिता के जीवनकाल से ही मकानात आदि बनाकर मनबट विभाजन अनुसार प्रचलित रूप से निरन्तर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्तानुसार वाद

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

अधीन भूमि खसरा नं. 309 व 310 में उभय पक्षकारान के मकानात आदि बने हुए है। उक्त दोनो खसरा नं. (309 व 310) को आपसी मनबट के आधार पर मौके पर विभाजित किया हुआ है तथा खसरा नं. 310 पर उभय पक्षकारान के आवागमन हेतु सीसी रोड बनी हुई है इस प्रकार वाद अधीन उपरोक्त ख.नं. 308, 309, 310 पर उभयपक्षकारान मौके पर मनबट के आधार पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वादपत्र के अन्तर्गत यह भी अभिकथन किया गया है कि वाद पत्र से परे अन्य भूमि खसरा नं. 311 स्थित है। जिस पर मिन प्रतिवादीगण (स. 01 ता 05) के मकानात आदि बने हुए है। जिस पर आने जाने का रास्ता खसरा नं. 310, 308 से होकर गुजरता है जिसके दृष्टिगत विभाजन किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण मौका स्थिति व प्रचलित/कायम कब्जे काश्त अनुसार विधिवत विभाजन बाबत व सहमत है। अतः जवाब वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद अधीन उल्लेखित भूमियों पर पूर्व से प्रचलित मनबट विभाजन अनुसार प्रचलित कब्जे काश्त व तदनुसार आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत भूमि के विधिक विभाजन का आदेश फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण के उक्त जवाब वादपत्र के आधार पर तनकीयात आवश्यक अपेक्षित प्रतीत नही होने से पत्रावली वास्ते बहस प्राथमिक डिकी नियत की जाकर उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस प्राथमिक डिकी पर विधिवत सुनी गई। जिसके अन्तर्गत अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार विभाजन किए जाने बाबत सहमति/अनापति व्यक्त की जाने पर दिनांक 22.04.24 को वाद वादीगण प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार आमेर को, उल्लेखित वाद अधीन भूमि के विधिक विभाजन के सन्दर्भ में पक्षकारान को विधिवत पूर्व सूचित करते हुए व पक्षकारान की उपस्थिति में, विभाजन के नियमानुसार उपयुक्त विभाजन करते हुए कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निदेर्शित किया गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार आमेर की ओर से दिनांक 12.07.24 को कुरेजात प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 22.07.24 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके संदर्भ में उभय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई की गई। जिसके अन्तर्गत वादीगण की ओर से कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई तथा प्रतिवादीगण की ओर से कुरेजात रिपोर्ट पर असहमति व्यक्त करते हुए आपत्ति प्रार्थनापत्र मय पक्षकारान के मध्य निष्पादित आपसी सहमति के बंटवारानामा दिनांक 09.10.2023 की सत्यापित प्रति के प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थनापत्र की प्रति अप्रार्थी वादी पक्ष को दिलाई गई। जिसका अप्रार्थी वादी पक्ष की ओर से विधिवत जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रस्तुत जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र की प्रति अप्रार्थी प्रतिवादी पक्ष को दिलाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति प्रार्थनापत्र हेतु नियत की जाकर उभयपक्षकारान की बहस कुरेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में सुनी गई।

कुरेजात रिपोर्ट पर आपत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अप्रार्थी वादीगण की ओर से उभयपक्षकारान के मध्य पूर्व में हुए मनबट विभाजन के आधार पर पक्षकारान के प्रचलित कब्जा काश्त अनुसार खसरा नम्बरान का विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। उक्त क्रम में जारी प्राथमिक डिकी के अनुसरण में तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पक्षकारान के मनबट के आधार पर पूर्व से कायम कब्जेकाश्त के अनुसार व मौके की वास्तविक स्थिति के अनुरूप तैयार नहीं की गई है जबकि स्वयं वादीगण द्वारा वाद पत्र के अन्तर्गत मनबट विभाजन के अनुसार कायम कब्जेकाश्त अनुसार विभाजन चाहा गया है परन्तु प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टी के प्रस्तावित खसरा नं. 308/1 रकबा 0.6365 है, खसरा नं. 308/2 रकबा 0.4835 है, खसरा नं. 310/1 रकबा 0.1530 है, खसरा नं. 175/1 रकबा 0.0485 है, खसरा नं. 308/3 रकबा 0.04 है., खसरा नं. 310/2 रकबा 0.0070 है., खसरा नं. 175/2 रकबा 0.1415 है. व खसरा नं. 309 रकबा 0.21 है के सन्दर्भ में कुरेजात रिपोर्ट वास्तविक मौका स्थिति (कब्जाकाश्त) अनुसार प्रस्तुत नही की गई है। जिससे प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जाकर पुनः कुरेजात रिपोर्ट तलब फरमाई जावें।

आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी वादीगण द्वारा अपनी बहस के कथन किया गया कि तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत तथा पक्षकारान की मौजूदगी में पक्षकारान की सुनवाई उपरान्त व विधिक प्रावधानो की पालना अनुसार, कब्जा काश्त व मकानात तथा आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत तैयार कर प्रस्तुत की गई है तथा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान के मध्य पूर्व में हुए आपसी राजीनामा/बंटवारानामा को पूर्णतः दृष्टिगत रखा जाकर उक्तानुसार ही विभाजन प्रस्तावित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण अन्तिम डिकी किया जावें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

हमने उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट तथा आपत्ति प्रार्थनापत्र के तथ्यों का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन व विवेचन किया। उभयपक्षकारान के प्रस्तुत अभिकथनों से यह तथ्य निर्विवादित प्रदर्शित होता है कि पक्षकारान के मध्य वाद अधीन भूमि के संदर्भ में पूर्व में आपसी सहमति से 500/रूपये मुद्रांकित शुल्क पर विधिवत हस्ताक्षरित बंटवारानामा निष्पादित किया गया है। जिसके अनुसार भूमि विभाजित कर पक्षकारान मौके पर पूर्व से ही काबिज होकर कब्जे काश्त में प्रचलित है तथा खसरा नं. 309, 310 में पक्षकारान के मकानात आदि बने हुए है। जिन पर आवागमन हेतु खसरा नं. 310 में रास्ता भी बना हुआ प्रचलित है तथा प्रचलित कब्जा काश्त व उपयोग– उपभोग के दृष्टिगत ही पक्षकारान द्वारा वाद अधीन खसरा नं. 308, 309, 310 को मध्य से पूर्व से पश्चिम की ओर 2 समान हिस्सों मे लिखित सहमति अनुसार विभक्त किया गया है तथा उक्तानुसार दक्षिण हिस्सा प्रतिवादी पक्ष द्वारा लिखित सहमति बटवारा अनुसार प्राप्त किया गया है एवं साथ ही वाद अधीन खसरा नं. 312, व खसरा नं. 393 कुल खसरा किता 02 को प्रतिवादीपक्ष द्वारा सम्पूर्ण रूप से लिखित सहमति में प्राप्त किया है तथा इसी प्रकार वाद अधीन खसरा नं. 175 व 176 सम्पूर्ण का 2/3 हिस्सा प्रार्थी प्रतिवादीपक्ष द्वारा सहमति विभाजन में प्राप्त किया गया है। शेष वाद अधीन खसरा नं. 343, 344, 345/564, 346, 349, 374, 375 कुल खसरा किता 07 अप्रार्थी वादी पक्ष को सम्पूर्ण (एकल) रूप से प्राप्त हुई है तथा खसरा नं. 308, 309, 310, में 1/2 हिस्सा व खसरा नं. 175, 176, में 1/3 हिस्सा लिखित सहमति में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वाद अधीन कुल खसरा किता 14 में से कुल 02 खसरा, खसरा नं. 312, व 393 के रूप में सम्पूर्ण (एकल) रूप से प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष को तथा वाद अधीन कुल 3 खसरा नं. 308, 309,310 में से दक्षिण भाग का 1/2 हिस्सा भी प्रार्थी प्रतिवादीगण पक्ष को आपसी लिखित सहमति के विभाजन में प्राप्त हुई है तथा उक्तानुसार ही भूमि प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष व अप्रार्थी वादीपक्ष को प्रस्तावित की गई है। उक्त सहमति विभाजन पत्र के (जिसके अन्तर्गत कि कब्जा काश्त स्वयं प्रार्थी प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है।) कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टी/नक्शा से वास्तविक तुलनात्मक विवेचन से यह स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पक्षकारान के पूर्व के राजीनामा, प्रचलित रकबा काश्त, मूलभूत सुविधाओं, आवश्यकताओं व भूमि की अखण्डता (एकजाई) के दृष्टिगत तैयार कर प्रस्तुत की गई है । जिसमें पक्षकारान को हितो का समान व विधिक रूप से संरक्षण प्रदर्शित है इसके अतिरिक्त भी प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष की और से अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि किस रूप में व किस विशिष्ट भूमि खसरा नं. में प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष का कब्जा काश्त स्थित है। जिसके विपरीत स्थिति अनुसार कुरेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी प्रतिवादीपक्ष का कब्जा काश्त स्वयं प्रार्थीगण के स्वीकार कथनानुसार ख. नं. 308, 309, 310 के दक्षिण ओर के 1/2 भाग अनुसार स्थित होना व्यक्त किया गया है। जिसके लगवा प्रार्थी प्रतिवादी पक्ष की एकल अधिकारिता की अन्य भूमि ख. नं. 312 व खसरा नं. 311 स्थित होना अभिकथन किया गया है। जिसके दृष्टिगत ही प्रार्थी प्रतिवादीपक्ष को हिस्सा/भूमि प्रस्तावित की गई है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत आपत्ति प्रार्थना पत्र सारहीन व अपोषनीय प्रतीत होने से खारिज किया जाकर तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट स्वीकार की जाकर प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाता है। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट मय संलग्न नक्शा निर्णय व डिकी का अजूज हिस्सा रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6--7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमर मुख्यालय जयपुर**
इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**
वाद संख्या : 54/2023 **निर्णय दिनांक : 29.09.2025**

1. भागीरथ प्रसाद पुत्र गुल्लाराम
2. रामनारायण पुत्र गुल्लाराम
3. शिवराम पुत्र गुल्लाराम
4. सुरजमल पुत्र गुल्लाराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास तहसील आमेर जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नी स्व. कल्याणमल
2. दौलतराम पुत्र कल्याणमल
3. महेन्द्र पुत्र कल्याणमल
4. विनोद पुत्र कल्याणमल
5. सतीष पुत्र कल्याणमल

   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास तहसील आमेर जयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील-आमेर जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक कार्यालय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के गहन अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया अनुसार व प्रावधानो एवं पक्षकारान हितों के दृष्टिगत तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित होती है अतः प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार आमेर की ओर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अन्तिम डिकी किया जाता हैं। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा निर्णय/डिक्री का अजूज हिस्सा रहेगी।

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	गुलाब देवी पत्नी कल्याणमल हिस्सा 1/10 जाति मीणा सा.देह खातेदार	175	0.1900	बारानी A	1.62
[redacted]	दौलतराम पुत्र कल्याणमल हिस्सा 1/10 जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन 1/10 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चंदवाजी तहसील आमेर	176	0.3200	बारानी A	2.72
		308	1.1600	बारानी 1	9.28
		309	0.2100	बारानी 1	1.68
3	भागीरथ प्रसाद पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/8 जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन 1/8 (पूर्ण खाता) कॉपोरेशन बैंक	310	0.1600	बारानी 1	1.28
		312	0.2715	चाही 1	6.95
				जाव 1	1.28
4	महेन्द्र पुत्र कल्याणमल हिस्सा 1/10 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन 1/10 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चंदवाजी	343	0.15	चाही 1	5.25
		344	0.16	चाही 1	5.60
		345/564	0.02	चाही 1	0.35
5	रामनारायण पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/8 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन 1/8 (पूर्ण खाता) कॉपोरेशन बैंक			जाव 1	0.18
		346	0.18	चाही 1	6.30
6	विनोद पुत्र कल्याणमल हिस्सा 1/10 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन 1/10 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चंदवाजी	349	0.1451	चाही 1	5.08
		374	0.35	चाही 1	12.25
		375	0.13	चाही 1	4.55
7	शिवराम पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/8 जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन 1/8 (पूर्ण खाता) कॉपोरेशन बैंक	393	0.49	चाही 1	17.15
8	सतीष पुत्र कल्याणमल हिस्सा 1/10 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन 1/10 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चंदवाजी तहसील आमेर				
9	सूरजमल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/8 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन 1/8 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक				
	कुल किता	14	3.9366	—	81.52

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक) आमेर

भागीरथ प्रसाद व अन्य बनाम गुलाब देवी व अन्य
वाद सं:-54/2023
निर्णय दिनांक:- .09.2025

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	भागीरथ प्रसाद पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन 1/4 (पूर्ण खाता) कॉर्पोरेशन बैंक	308/1 343	0.6365 0.15	बारानी 1 चाही 1	5.09 5.25
2	रामनारायण पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन 1/4 (पूर्ण खाता) कॉर्पोरेशन बैंक	344 345/564	0.16 0.02	चाही 1 चाही 1	5.60 0.35
3	शिवराम पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन 1/4(पूर्ण खाता) कॉर्पोरेशन बैंक	 374	 0.35	जाव 1 चाही 1	0.18 12.25
4	सूरजमल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन 1/4 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक	375	0.13	चाही 1	4.55
	कुल किता	6	1.4465	—	33.27
	1 गुलाब देवी पत्नी कल्याणमल हिस्सा 1/5 जाति मीणा सा.देह खातेदार 2 दौलतराम पुत्र कल्याणमल हिस्सा-1/5जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन 1/5 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चंदवाजी तहसील आमेर 3 महेन्द्र पुत्र कल्याणमल हिस्सा 1/5 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन 1/5 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चंदवाजी 4 विनोद पुत्र कल्याणमल हिस्सा 1/5 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन 1/5 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चंदवाजी 5 सतीष पुत्र कल्याणमल हिस्सा 1/5 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन 1/5 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चंदवाजी तहसील आमेर	308/2 310/1 312 393 175/1	0.4835 0.1530 0.2715 0.49 0.0485	बारानी 1 बारानी 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 बारानी A	3.87 1.22 6.95 1.28 17.15 0.41
	कुल किता	5	1.4465	—	30.88
	शामलाती (जमाबंदी खाता सं. 29 के संपूर्ण खातेदार)	308/3 310/2 175/2 309 176 346 349	0.04 0.007 0.1415 0.21 0.32 0.18 0.1451	बारानी 1 बारानी 1 बारानी A बारानी 1 बारानी A चाही 1 चाही 1	0.32 0.06 0.0 1.68 2.72 6.30 5.08
	कुल किता	7	1.0436	—	17.37

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.09.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा ......मुख्यालय-जयपुर......

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना व कील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर